

में अक्षित अक्ष 12 दिना समाप्ति

Noted 18/11/24 पञ्जाबी पेश इति वकील पञ्जाबी  
उप-ई वकील यथै अथवा 9/11/24




रामेश्वर

बनाम

अबुलखालका

य

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/11/22	<p>अस्थायी निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहिए है तथा Not Press के आवाज पर खारिज करवाना चाहिए है जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात यथी का मु.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा Not Press में खारिज किया जा रहा है पत्रावली में अहम शुमार होकर 5 पे नम्बर में कथ ही आदेश मुले मामला में मुताबक गामा</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी गोंधर खेड</p>	